2019-20

संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-1

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-417/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक 11 समान मासिक किश्तों में धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तथा माह मार्च, 2020 में 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, वाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ, [illegible] विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार [illegible] बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन [illegible] उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान [illegible] लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-[illegible]- उ0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-117/दस-20 दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 57/2019/785(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 09 मई, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-582/मु0म0प्र0(वित्त)/निधि-II/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 03 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बें करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-I, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 640,00,00,000/- (रूपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) का आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 260,00,00,000/- (रूपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 2890,000,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ नब्बें करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 289,00,00,000/- (रूपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंग

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 173 दिनांक 08 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार

अनु सचिव

संख्या-68/2019/972(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्र 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्र 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज-लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/ गा

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रि

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-96/2019/1865/24-1-19-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1055 /मु0म0प्र0 (वित्त) / निधि-II/ आय-व्ययक /2019-20/374, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-I, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 640,00,00,000/- (रूपये छ: सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी0सी0-I, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 260,00,00,000/- (रूपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 289,00,00,000/- (रूपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 1767.00.00.000/- (रूपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 2023.00.00.000/- (रूपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300.00.00.000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1723.00.00.000/- (रूपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 245.00.00.000/- (रूपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 253.00.00.000/- (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-261/दस-2019, दिनांक 28 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या-96(1)/2019/1865(1)/24-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 106 /2019/2010/24-1-19-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर,2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1162/मु0म0प्र0 (वित्त) / निधि-II/ आय-व्ययक /2019-20/374, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बें करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-I, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 640,00,00,000/- (रूपये छ: सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी0सी0-I, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 260,00,00,000/- (रूपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ नब्बें करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 289,00,00,000/- (रूपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 1767,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 2023,00,00,000/- (रूपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1723,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 245,00,00,000/- (रूपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 253,00,00,000/- (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2312,00,00,000/- (रूपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1478,00,00,000/- (रूपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1178,00,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 195,00,00,000/- (रूपये एक सौ पंचान्नबें करोड़ मात्र) की पॉच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 203,00,00,000/- (रूपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 275 /दस-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 106 /2019/2010(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 112 /2019/2160/24-1-19-54पी/02टी0सी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1290/ अधि0नि0 (वित्त) /निधि-II/ आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 640,00,00,000/- (रूपये छ: सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी0सी0-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से मई, 2019 में धनराशि रूपये 260,00,00,000/- (रूपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ से माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 289,00,00,000/- सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित की अनुमति प्रदान की गयी थी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 1767,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 2023,00,00,000/- (रूपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1723,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 245,00,00,000/- (रूपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 253,00,00,000/- (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या-106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2312,00,00,000/- (रूपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1478,00,00,000/- (रूपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1178,00,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 195,00,00,000/- (रूपये एक सौ पंचान्नवें करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 203,00,00,000/- (रूपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2807,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रूपये 983,00,00,000/- (रूपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 533,00,00,000/- (रूपये पाँच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रूपये 175,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रूपये 183,00,00,000/- (रूपये एक सौ तिरासी करोड़

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

मात्र) को माह जनवरी, 2020 में तृतीय किश्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 285 /दस-2019, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या- 112 /2019/2160(1)/24-1-19, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 127/2019/2370/24-1-19-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर,2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1443/ अधि0नि0(वित्त)/ निधि-II/आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-I, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 640,00,00,000/- (रूपये छ: सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी0सी0-I, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 260,00,00,000/- (रूपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 289,00,00,000/- (रूपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

2- पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 1767,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 2023,00,00,000/- (रूपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1723,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 245,00,00,000/- (रूपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 253,00,00,000/- (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: शासनादेश संख्या-106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2312,00,00,000/- (रूपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1478,00,00,000/- (रूपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1178,00,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 195,00,00,000/- (रूपये एक सौ पंचान्नबें करोड़ मात्र) की पॉच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 203,00,00,000/- (रूपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: शासनादेश संख्या-112/2019/2160/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2807,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रूपये 983,00,00,000/- (रूपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 533,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रूपये 175,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रूपये 183,00,00,000/- (रूपये एक सौ तिरासी करोड़ मात्र) को माह

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

जनवरी, 2020 में तृतीय किश्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 3432,00,00,000/- (रूपये तीन हजार चार सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रूपये 358,00,00,000/- (रूपये तीन सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) को माह नवम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 312 /दस-2019, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या-127/2019/2370(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 133/2019/2474/24-1-19-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1492/ अधि0नि0(वित्त)/ निधि-II/आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 25 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बें करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-I, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 640,00,00,000/- (रूपये छ: सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी0सी0-I, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 260,00,00,000/- (रूपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ नब्बें करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 289,00,00,000/- (रूपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 1767,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 2023,00,00,000/- (रूपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1723,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 245,00,00,000/- (रूपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 253,00,00,000/- (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या-106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2312,00,00,000/- (रूपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1478,00,00,000/- (रूपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1178,00,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 195,00,00,000/- (रूपये एक सौ पंचान्नबें करोड़ मात्र) की पॉच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 203,00,00,000/- (रूपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या-112/2019/2160/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2807,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रूपये 983,00,00,000/- (रूपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 533,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रूपये 175,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रूपये 183,00,00,000/- (रूपये एक सौ तिरासी करोड़ मात्र) को माह

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

जनवरी, 2020 में तृतीय किश्त के रूप में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 127/2019/2370/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से 3432,00,00,000/- (रूपये तीन हजार चार सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 358,00,00,000/- (रूपये तीन सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) माह नवम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 3632,00,00,000/- (रूपये तीन हजार छः सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रूपये 158,00,00,000/- (रूपये एक सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) को माह दिसम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 322 /दस-2019, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या-133/2019/2474(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 11 /2020/78/24-1-20-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी,2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-74/अधि0नि0 (वित्त) /निधि-II/ आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 13 जनवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) के सोपक्ष अवशेष धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) में से माह फरवरी, 2020 में धनराशि रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-09/दस-2020, दिनांक 0 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या- 11 /2020/(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयाग 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयाग 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भ सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-16/2020/388/24-1-20-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी,2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-231/अधि0नि0 (वित्त) /निधि-II/ आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) के सोपक्ष अवशेष धनराशि रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) को माह फरवरी, 2020 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के ले "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 30 /दस दिनांक 26 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या- 16 /2020/388(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-418/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 के बजट में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 1010,00,00,000/- (रूपये एक हजार दस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक 11 समान मासिक किश्तों में धनराशि रूपये 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) तथा माह मार्च, 2020 में 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 130,00,00,000/- (रूपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27- सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-118/दस-2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-58/2019/784(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-69/2019/973/24-1-19-784(बजट)/2019

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 मई, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-583/मु0अ0प्र0(वित्त)/निधि-II/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 03 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रूपये 1010,00,00,000/- (रूपये एक हजार दस करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 130,00,00,000/- (रूपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से माह अप्रैल, एवं मई, 2019 में धनराशि रूपये 160,00,00,000/- (रूपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 850,00,00,000/- (रूपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 75,00,00,000/- (रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 775,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 77,50,00,000/- (रूपये सतहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2 19 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्य लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-789-अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना- 03- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनु सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 174 /दस दिनांक 08 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रि
अनु सचिव।

संख्या- 69 /2019/973(1)/24-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयाग 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयाग 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्र भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बु

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठ
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-107/2019/2011/24-1-19-784(बजट)/2019

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1143/ मु0म0प्र0 (वित्त) /निधि- II/ आय-व्ययक/ 2019-20/ 374, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रूपये 1010,00,00,000/- (रूपये एक हजार दस करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 130,00,00,000/- (रूपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से माह अप्रैल, एवं मई, 2019 में धनराशि रूपये 160,00,00,000/- (रूपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-69/2019/973/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 850,00,00,000/- (रूपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 75,00,00,000/- (रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 775,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 77,50,00,000/- (रूपये सतहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 545,00,00,000/- (रूपये पाँच सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 465,00,00,000/- (रूपये चार सौ पैंसठ करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 में धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा अवशेष धनराशि रूपये 165,00,00,000/- (रूपये एक सौ पैंसठ करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक धनराशि रूपये 55,00,00,000/- (रूपये पचपन करोड़ मात्र) की तीन समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 03- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 274 /दस-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या-107/2019/2011(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समाज कल्याण विभाग (कल्याण प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-90/2019/1450/24-1-19-34 लोम/86

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध समायोजन द्वारा राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-857/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र-2/विद्युत कर/345/2017, दिनांक 06 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2019-20 में विद्युत कर वसूली के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 3120,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ बीस करोड़ मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) की आठ समान मासिक किश्तों माह जुलाई, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक तथा धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) माह मार्च, 2020 में अन्तिम किश्त के रूप में पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, वाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "280 बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-2 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा तथा यह भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा प्रा लेखाशीर्षक "0043-विद्युत कर तथा शुल्क-101-विद्युत के उपभोग और विक्री पर क 01-विद्युत के उपभोग और विक्री पर कर" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 230 /दस-20 दिनांक 26 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या- 90 /2019/1450(1)/24-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयाग 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रया 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या:२२ /2019/ 1263 /12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक:२७ मई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रूपये 30000 लाख के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/71/लेखा-निजी नल0/2019-20 दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) में से प्रथम त्रैमास हेतु रू0 30000.00 लाख (रूपए तीन सौ करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 30000.00 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त् अगले त्रैमास हेतु उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य निर्वाचन, 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिए गए निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

संख्या:22/2019/1263(1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त द्वित्तीय किश्त की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या: /2019/2067/12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रूपये 30000 लाख के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/470/लेखा-निजी नल0/2019-20 दिनांक 12 जुलाई, 2019 तथा शासनादेश संख्या:22/2019/1263/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 27 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) में से द्वितीय त्रैमास हेतु रू0 30000.00 लाख (रूपए तीन सौ करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 30000.00 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त् अगले त्रैमास हेतु उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

संख्या: /2019/2067 (1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त तृतीय किश्त की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या: 35 /2019/ 2728/12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रूपये 200.00 करोड के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/920/लेखा-निजी नल0/2019-20 दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) में से तृतीय तृतीय किश्त की धनराशि रू0 200.00 करोड (रूपए दो अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 200.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त् शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 35 /2019/2728 (1) /12-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष धनराशि रूपये 100.00 करोड की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या:43/2019/2884 /12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रूपये 100.00 करोड़ के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2019/2728/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) में से तृतीय किश्त की शेष धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेवसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-43/2019/2884 (1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ[illegible] प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रे[illegible] स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को [illegible] कराने के उपरान्त अवशेष धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या:61/2019/ 3520 /12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

मासूम अली सरवर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रूपये 100.00 करोड के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2019/2728/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष माह नवम्बर, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवशेष रूपये 300.00 करोड में से रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में नितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या: 1 /2020/ 139 /12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

मासूम अली सरवर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रूपये 200.00 करोड के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 61/2019/3520/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 200.00 करोड (रूपए दो अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

संख्या: 1 /2020/ 138 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28